

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं०. 8बी/एच.पी./05/30/2019/एफ.सी./1865

दिनांक: 19/11/2019

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

विषय : Re-diversion of 1.052 ha of forest land in favour of Mining Officer, Chamba for River Bed Mining in Salandri Khad (Stream) at Mohal Janna Distt. Chamba, within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, H.P.

संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48-3691/2017 (एफ.सी.ए.) दिनांक 18.10.2019


महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार आर.ई.सी. के minutes दिनांक 30.09.2019 में चर्चानुसार NHPC द्वारा जारी आवश्यक एन0ओ0सी0 जोकि वर्तमान प्रयोक्ता अभिकरण अर्थात् mining department के नाम से जारी हो उपलब्ध कराये। इसके अतिरिक्त RBM चुगान हेतु तैयार mining plan भी प्रयोक्ता अभिकरण अर्थात् mining department के नाम से ही जारी होना चाहिये।

राज्य सरकार को यह भी अवगत कराना है कि नियमानुसार विभिन्न मदों में जमा की जाने वाली आवश्यक धनराशि (CA, NPV इत्यादि) प्रयोक्ता अभिकरण, जिसको एफ.सी.ए., 1980 में वर्णित दिशा-निर्देशानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृति दी जायेगी, द्वारा ही जमा किया जायेगा एवं यदि lease किसी तरह से अन्य व्यक्ति अथवा संस्थान को transfer की जाती है तो उसकी अनुमति एफ.सी.ए., 1980 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार से ली जायेगी।

यदि चाही गयी सूचना पत्र जारी होने की तिथी के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(डा० योगेश गरीला)
तकनीकी अधिकारी